

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्या:-96/17

जीसीएमएस नं. 2017/00162

दायर दिनांक:-19.07.2017

1.बनैसिंह आयु 62 साल पुत्र जीतमल जाति जाट निवासी बरगमाँ तहसील हिण्डौन सिटी,
जिला करौली

-----वादी

बनाम

1.रामोतार पुत्र सुगरसिंह आयु 45 साल जाति जाट निवासी बरगमाँ तहसील हिण्डौन सिटी,
जिला करौली


-----प्रतिवादी

दावा बावत् स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 31/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री सरदीलाल चौधरी एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री अता उल हक नूरी एडवोकेट मिन जानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 2468 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम बरगमाँ तहसील हिण्डौन जिला करौली में जब तक वादी की आराजी का विधिवत सीमाज्ञान नही हो तब तक प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 2468 रकबा 0.08 है0 में किसी प्रकार की कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नही करे ना ही अन्य से करावे वादी को शान्तिपूर्वक फसल काश्त करने देवे। वादी एवं प्रतिवादी को निर्देश दिये जाते है कि इस संबंध में प्रतिवादी को किसी प्रकार की डोल मेड की सीमा को लेकर आपत्ती है तो अपनी खातेदारी वाके ग्राम बरगमाँ तहसील हिण्डौन के सीमाज्ञान हेतु पृथक से तहसीलदार हिण्डौन के यहाँ पर विधिनुसार सीमाज्ञान कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे तथा नियमानुसार सीमाज्ञान करावे साथ ही न्यायालय हाजा में इससे संबंधित सभी प्रकार के प्रार्थना पत्र निस्तारित माने जावेंगे। पक्षकाराण अपना-अपना खर्चा वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.2024..को यह डिकी जारी की गई।


(हेमराज गुर्जर) 19/7/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली



7
55
10/12